1.1 प्रस्तावना (Introduction) -

'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' और सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति के कुछ नैतिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। जिसका पालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में निभाने होते हैं। मनुष्य जब अपने अतीत काल में था, तब वह ख़ानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, पशुओं का शिकार करता था और छोटे-छोटे कबीलों में रहकर अपना जीवन-यापन करता था। लेकिन जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और मानव जंगलों की बजाय मैदानों में रहने लगा। मनुष्य ने जब मैदानों में रहना आरंभ किया उस समय उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन अपने प्रयास से कृषि के नए-नए उपकरणों को विकसित किया और कृषि के साथ ही पशुचारण कार्यों में भी लग गया। यह मानव के विकास का आरंभिक काल था लेकिन जैसे-जैसे मानव ज्ञान का सृजन हुआ वह कृषि के साथ ही औद्योगिक तथा उत्तर-औद्योगिक काल में जीवन-यापन करना आरंभ कर दिया है।

औद्योगिक काल ऐसे समय का प्रतिफल है जिसमें मानव श्रम की जगह मशीनी श्रम पर अधिक बल दिया जाता है। अतः पूरी दुनिया में जब औद्योगीकरण की शुरूआत हुई उस समय भारी मात्रा में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने हेतु पलायन किया। इससे छोटे-बड़े उद्योग-धंधों का विकास व्यापक पैमाने पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। लेकिन बड़ी कंपनियों के आगमन से इन क्षेत्रों में जो छोटी कंपनिया थी,वह उस रूप में विकसित नहीं हो पाई जिस रूप में उन्हें होना चाहिए था। क्योंकि इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति इनकी अपेक्षा बहुत ही दयनीय है और सरकार की नीति भी इनके अनुकूल नहीं रही है। इस कारण इन क्षेत्रों में जो लघु उद्योग हैं वह लुप्त होते जा रहे हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अतः प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने

का प्रयास गया हैं। कि आखिर क्या कारण है कि इन क्षेत्रों में जो लघु उद्योग है वह विलुप्त होते जा रहे हैं ? इनके लिए सरकारी नीतियाँ किस तरह से कार्य कर रही हैं ? कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? और इसका कैसे बेहतर विकास हो सकता है? यह विचारणीय प्रश्न हैं। अतः प्रस्तुत शोध की विस्तृत व्याख्या हेतु वर्धा शहर के 'लघु उद्योग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

लघु-उद्दोग एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग अद्योगिक क्रांति (1760-1840) के समय से किया जाता रहा है। यह शब्द लघु एवं उद्दोग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लघु का अर्थ 'छोटा' और उद्योग का अर्थ 'एक ऐसे क्षेत्र से है जहाँ भारी पैमाने पर मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो'। चूँकि वर्धा, **महात्मा गांधी** और **बिनोवा भावे** की कर्मस्थली रही है इस कारण यहाँ जो भी उद्योग-धंधे विकसित हुए उनमें लघु उद्योगों की संख्या अधिक रही है। क्योंकि गांधी आर्थिक विकेन्द्रीकरण और ट्रस्टीशिप की बात करते थे और इस कारण यहाँ जो भी उद्योग विकसित हुए उनमें लघु उद्योगों की प्रधानता रही है। अतः लघु उद्योग ऐसे उद्योग को कहते है, जिसमें किसी उद्दोग में मजदूरी के बदले कार्य करने वाले दस से पचास श्रमिकों की सेवाएँ ली जाती हों।

जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरूआत हुई उस दौरान दुनियाँ के पटल पर नई-नई तकनीकों का तीव्र गति से विकास हुआ और उद्योगों का भारी मात्र में विकास हुआ। चूँकि भारत कई शताब्दी से अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था इसलिए इस विचारधारा से भारत भी वंचित न रहा और अठारहवीं शताब्दी तक का समय आते-आते यहाँ भी छोटे-बड़े औद्योगिक संयंत्र स्थापित होने आरंभ हो जाते हैं। इन औद्योगिक संयंत्रो के स्थापित होने से जहाँ एक तरफ मानव विकास तो हुआ साथ ही

इसने कई समस्याओं को भी जन्म दिया। इस कारण प्रस्तुत शोध में लघु-उद्योग के क्षेत्र में जो समस्याएँ उत्तपन्न हो रही हैं उसका विस्तार से अध्ययन किया गया है।

1.2. संक्रियात्मक परिभाषाएँ (Operational Definitions) - प्रस्तुत अध्ययन में तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है –

I. कुटीर-उद्योग – इसके अंतर्गत उन उद्योगों को समाहित किया गया है जिसमें उत्पादन एवं सेवा कार्य व्यक्ति के घर में किया जाता हो और कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी में अधिक कुशलता से अपने हाथों से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता हो।

II. लघु-उद्योग – लघु उद्योग से आशय उन क्षेत्रों से है जहाँ मध्यम स्तर के उत्पादन कार्य किया जाता हो, श्रम शक्ति और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कम से कम मात्रा में किया जाता हो उसे लघु उद्योग के अंतर्गत रखा जाएगा।

III. वृहद उद्योग – इसके अंतर्गत ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया है जहाँ बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश होता हो और भारी संयंत्रों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन कार्य किया जाता हो।

1.3. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि (Theoretical Framework) –

दुनिया का प्रत्येक समाज किसी न किसी तरह की समस्याओं से ग्रसित रहता है और जिस समाज में जितनी अधिक विविधता होगी वह समाज में उतनी ही अधिक समस्याएँ देखने को मिलती हैं। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इस कारण यहाँ ऐसे उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि मानव जब आदि काल में था तब भी वह नुकीले पत्थर, पशुओं के दाँत, हल, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं का निर्माण करता था और वस्तु-विनिमय पद्धति द्वारा वस्तुओं का आयात-निर्यात करता था। यह परंपरा

कई दशकों तक चली और जब मानव आधुनिक दुनिया में प्रवेश किया तब इसकी मौलिकता उस रूप में न रहकर दूसरे रूप में प्रतिस्थापित हो गई जिसे आज कुटीर, लघु, वृहद् आदि कई नामों से इसकी पहचान होने लगी। अतः प्रस्तुत शोध की अगर सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसकी शुरुआत कच्चे माल के शोधन के परिणामस्वरूप ही हुई। मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा और मकान हैं और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहता है और इसके लिए वह कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में निरंतर कार्य करता रहता है। इस प्रकार अपने जीविकोपार्जन में उद्योगों का महत्व हमेशा रहा है।

1.4. शोध का औचित्य (Rationale of Research) –

चूँकि यह अध्ययन वर्धा शहर के लघु उद्योगों से संबंधित है इस कारण इसमें आने वाली समस्याओं का अध्ययन वृहद पैमाने पर किया गया है ताकि सरकार और उद्योगों के बीच एक सकारात्मक संबंध को स्थापित किया जा सके।

1.5. समस्या कथन (Research Problem) –

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित विविध इकाइयों का समुच्चय है, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु-उद्योग, कुटीर उद्योग एवं वृहद उद्योगों को बढ़ावा देना है। लेकिन औद्योगिक नीति और सरकार का रवैया उचित न होने के कारण जिस रूप में इसका विकास होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पा रहा है। इस कारण विकास की दौड़ में लघु उद्योग कहीं न कहीं पीछे दिखाई दे रहें है। इस शोध के माध्यम से सरकार एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीच उचित समन्वय का निर्माण किया गया है ताकि लघु-उद्योगों का अस्तित्व जीवित रह सके।

1.6. शोध प्रश्न (Research Question) –

I. वर्धा शहर के लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

II. लघु उद्योग में नियोक्ता और कामगारों के बीच किस तरह की समस्याएँ व्याप्त हैं?

III. लघु उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हो सकते हैं?

1.7. शोध उद्देश्य (Research Objective) –

I. वर्धा शहर के लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

II. लघु उद्योग में नियोक्ता और कामगारों के बीच उदित हो रही समस्याओं का पता लगाना।

III. लघु उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना।

1.8. शोध प्रविधि (Research Methodology) –

चूँकि यह अध्ययन वर्धा शहर की लघु-उद्दोगों की स्थिति से संबंधित है इस कारण यह शोध अपने आप में 'गुणात्मक प्रवृत्ति' पर आधारित है लेकिन जहाँ आवश्यक है वहाँ 'वर्णात्मक विश्लेषण' भी किया गया है।

1.8.1. शोध अभिकल्प (Research Design) –

प्रस्तुत शोध लघु-उद्योग की वर्तमान स्थिति से संबंधित है, इस कारण इसमें 'वर्णनात्मक शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है।

1.8.2. शोध संरचना (Research Setting) -

प्रस्तुत शोध मुख्य रूप से लघु-उद्योग की वर्तमान स्थिति से संबंधित है इस कारण इसकी स्थापना काल से लेकर वर्तमान में आए परिवर्तनों, उसके व्यवहार और उत्पन्न होने वाली समस्याओं से संबंधित है, इसलिए इसकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन आवश्यक है।

1.8.3. **निदर्शन (Sampling)** – इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को समाहित किया गया है -

I. **निदर्शन पद्धति का चयन -** प्रस्तुत शोध में 'संभाव्य प्रतिदर्शन' के अंतर्गत 'लॉटरी विधि' का प्रयोग किया गया है।

II. **निदर्शन इकाई का निर्धारण** – समय और संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए निदर्शन इकाई के रूप में वर्धा जिले के लघु-उद्योगों को शामिल किया गया है।

III. **निदर्शन आकार का निर्धारण -** निदर्शन आकार के निर्धारण हेतु वर्धा जिले के पांच लघु-उद्योगों को शोध इकाई में शामिल कर इनका घटना अध्ययन किया गया है।

1.8.4. आंकड़ों का संग्रहण (Collection of Data) -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ा संग्रहण विधि का प्रयोग किया गया है।

I. **प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण विधि -** इसके अंतर्गत साक्षात्कार तथा घटना अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

II. द्वितीयक आंकड़ा संग्रहण विधि - इसके अंतर्गत दस्तावेज़ अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

1.8.5. उपकरण एवं तकनीक (Tool and Technique) -

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संग्रहण हेतु निम्नलिखित तकनीक एवं उपकरण का प्रयोग किया गया है

I. साक्षात्कार विधि (Interview Method) - प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संग्रहण हेतु संरचित साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से शोध से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई।

II. घटना अध्ययन विधि (Case study Method) - इसमें घटना विधि के अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

III. दस्तावेज़ अध्ययन विधि (Document study Method) - इसके अंतर्गत शोध विषय से संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्र, कार्यशाला आदि से जानकारी एकत्रित कर आंकड़ों का समुचित विश्लेषण किया गया।

1.8.6. विश्लेषण (Analysis) -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु 'अंतर्वस्तु-विश्लेषण विधि' का प्रयोग किया गया है एवं तथ्य विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण हेतु सारणी का प्रयोग किया गया है।

1.8.7. लेखन पद्धति (Writing Method) -

प्रस्तुत शोध में संदर्भ लेखन पद्धति के रूप में APA शैली का प्रयोग किया गया है।

1.8.8. शोध परिसीमन (Delimitations of Study) -

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध के शोध विषय की सीमा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में अध्ययनरत शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों के लघु-उद्योग तक ही सीमित रहेगा।

1.9. साहित्य पुनरावलोकन (Review of Literature) -

साहित्य पुनरावलोकन किसी भी शोध का एक मूल भाग होता हैं और यह शोध को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता हैं। प्रस्तुत शोध में उन तथ्यों की समीक्षा की गयी है जो अध्ययन विषय से किसी न किसी तरह से संबन्धित है। अतः इसके अंतर्गत जिन शोध-पत्रों का उल्लेख किया गया है वह निम्नलिखित है -

कुमार, आलोक (2010) ने अपने इस शोध-पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि भारत लंबे समय से ही एक लघु औद्योगिक देश रहा है और यहाँ आज भी वृहद पैमाने पर इस उद्योग को किसी न किसी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इस उद्योग की बात की जाए तो इन उद्योगों का दिन-प्रतिदिन विकास हो रहा है। इसके कई आयाम उभरकर सामने आए हैं जिनमें एक मुख्य कारण वृहद उद्योगों का विकास है। वृहद उद्योगों के विकास से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में इन उद्योगों का ह्रास हुआ है। अतः इसके व्यापक विकास हेतु सरकार एवं छोटे-छोटे कारोबारी इस प्रयास कर रहे है। विद्वानों का यह भी मानना है कि भारत गावों का देश है और यहाँ की आर्थिक स्थिति तभी सुदृढ़ होगी जब इन लघु-उद्योगों का विकास वृहद पैमाने पर होगा। भारत सरकार द्वारा 1948 से लेकर अब तक कुटीर उद्योग के विकास पर लगातार बल दिया जा रहा हैं। लघु-उद्योग विकास में क्यो बढ़ा आ रही है? लघु-उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह हैं की, कच्चा माल पर्याप्त

मात्रा में नहीं मिल पता हैं। यदि उद्योगों संचालक को मिलता है, तो बड़ी मात्रा में अधिक पैसा चुकाना पड़ता हैं। इससे इनकी लागत मूल्य बढ़ जाती हैं। दूसरी प्रमुख समस्या यह है, की वित्तीय सुविधाओं का अभाव हैं। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती हैं। लघु उद्योग की उपयोगिता को बनाया रखने के लिए आज यह अंतंत्य आवश्यक हैं, की उत्पादन तकनीकी का आधुनिकरण किया जाए। परंपरागत अवजरों और प्राचीन विधिवत सामुग्री से आधुनिक डिजाइन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उनकी निर्माण विधि में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके सस्ती दर पर उत्तम किस्म की वस्तुएँ शीघ्रता से उत्पादित की जा सकती हैं। उत्पादित माल के विक्रय के विषय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष संगठन की जरूरत हैं। लघु-उद्योग के साधन इतने सीमित होते हैं कि विस्तुगत स्तर पर विज्ञान व्यवस्था को कम नहीं कर सकते हैं। जिन वस्तुओं में आधुनिक मशीनी माल से प्रतियोगिता करनी होती है तब उनकी विक्रय की व्यवस्था करना कठिन हो जाता हैं।

के. वी. ईरनिराया (2008) ने अपनी पुस्तक में लघु-उद्योग क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास हेतु औद्योगिक नीति को सर्वोपरि रखा है। इसलिए सरकार द्वारा भी इसके संवर्धन एवं विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया हैं। रोजगार के क्षेत्र में इसकी महत्ता को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र के बाद यह सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र रहा है। अतः इस उद्योग को तीन महत्वपूर्ण श्रेणियों में विभाजित किया गया है -

I. सूक्ष्म लघु उद्योग - इस उद्योग में आधुनिक तकनीकी ज्ञान लेकर यह बाजार में खुलकर प्रतियोगिता करता हैं इसमें सूचना, पूंजी, तांत्रिक ज्ञान की कमी हो सकती हैं किंतु अन्य मामलों में एकदम भिन्न हैं। जो उद्यमी बेहतर तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते है वहीं इस उद्योग की श्रेणी में आता हैं।

II. मध्यम स्तर के लघु उद्योग - इस उद्योग के लोगों के पास पूंजी है किंतु यह उद्योग देश के किसी कोने में चाहिए हुए माल का भी उत्पादन करता हैं। ग्राहकों के मांग के अनुसार यह उद्योग उत्पाद करता हैं। जिस ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में यह उद्योग समूह अधिक मुनाफा कमा सकता हैं वहीं क्षेत्र में यह उद्योग अधिक मात्रा में स्थापित हैं।

III. वृहद लघु उद्योग - यह सबसे बड़ा उद्योग समूह हैं। लघु-उद्योग का अध्ययन करने के बाद उसकी निम्नवत विशेषताएँ पता चलती हैं -

- रोजगार निर्मित करने में अनुकूल
- कौशल विकास को अधिक महत्व
- आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक आवश्यक
- ऊर्जा की कम लागत
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसारित करना।

लघु-उद्योग क्षेत्र भविष्य के सभी उद्योगों से जुड़ा हुआ हैं। वर्तमान स्थिति को देखे तो यह लघु-उद्योग भिन्न तरह के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। बस अब जरूरत है केवल लघु-उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकारी यंत्रणा के माध्यम से कम ब्याज दर पर कर्जा मुहैया करने की । औद्योगिक फैलाव एव रोजगार निर्मिति हेतु लघु-उद्योग क्षेत्र का विस्तार होना जरूरी हैं। वास्तव में देखा जाए तो लघु-उद्योग का भविष्य अधिक तेज एवं आकर्षक हैं।

झा, विश्वनाथ (2012) ने अपनी पुस्तक में 'दी हिंदू' द्वारा प्रकाशित 'सर्वे ऑफ इंडियन इंडस्ट्री' (2006) यह स्पष्ट किया किया है कि 21 वी शताब्दी का वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो इसमें ज्यादा तौर पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। आज हम भारत को देखे तो औद्योगिक क्षेत्र में भारत निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा हैं। वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात ही भारत पर उसका प्रभाव पड़ा और औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रयास होकर ग्रामीण उद्योग से लेकर शहरी उद्योग तक का विकास हुआ हैं। यही औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने देश में कायापलट कर दी हैं। 1760 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरूआत हुई थी तभी से ही देश विकास के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए गए। वास्तव में औद्योगीकरण विज्ञान का विकास के साथ जुड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता हैं। औद्योगीकरण एक बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया है जो सदैव निरंतर चलती हैं। औद्योगीकरण का विस्तार व्यापक हैं। औद्योगीकरण परिवार तथा गाव के साथ जुड़ा हैं। औद्योगीकरण का उद्योग के साथ स्पष्ट संबंध हैं। क्योंकि की उद्योग से औद्योगीकरण की अवधारण स्पष्ट हो गई हैं।

राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्थान, नई दिल्ली (2011) ने देश के 35000 युवाओं को रोजगार प्रदान हेतु कौशल विकास योजना कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया है। ताकि युवाओं को अधिक संख्या में रोजगार प्राप्त हो सके। इसके साथ यह लघु उद्यमियों के लिए उद्योग के अनुरूप आधुनिक तंत्र एवं अद्ययावत सूचना प्रदान करता हैं। राज्य सरकार एवं उनकी एजेंसिययाँ उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु सदैव प्रयासरत हैं। एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों का एक-दूसरे के साथ मार्गदर्शन करके उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सदैव प्रयास करते हैं। उनका कहना हैं,कि हमें उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी पैदा नहीं करना है बल्कि असंख्य उद्यमी पैदा करके लोगो को रोजगार दिलाना हैं। लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एवं उद्योग क्षेत्र का विकास करने हेतु विभिन्न

तरह के कानूनी अधिनियम पारित हुए हैं। उद्योग क्षेत्र में लघु उद्यम विकास अधिनियम (2006) को पारित किया गया जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम इन उद्योगों को सर्वप्रथम परिभाषित किया है।

द्विवेदी, राधेश्याम (2016) ने अपनी पुस्तक 'लघु-उद्योग दिवस लेख विविधा साहित्य' में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में चीजों का निर्माण तथा उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने वाला मानवीय कार्य को **'उद्योग'** कहते हैं। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। जिसमें लोगो के रहन-सहन में सुधार होता हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को उद्योग दिवस मनाया जाता हैं। यह दिवस लघु- उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता हैं। भारत जैसे विकसनशील देश में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई हैं। भारत में आर्थिक विकास कार्यनीति को ज्ञान में रखते हुए लघु उद्योग के विकास के लिए अधिक बल दिया जाना अत्यंत आवश्यक हैं। सरकारने समय-समय पर लघु- उद्योगों की परिभाषा दी हैं। जिस उद्योग में 10 से लेकर 50 तक मजदूर पैसे के लिए कार्य करते हैं। लघु- उद्योग एक औद्योगिक उपक्रम है, जिनमें मशीनरी निवेश संपत्ति होती हैं। यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय-समय पे बदलती हैं। तकनीकी कुशलता एवं उद्योगों को लगनेवाला कच्ची सामग्री बाहर से मांग की जाती हैं। लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम "लघु-उद्यम" दिया गया हैं। लघु- उद्योग मंत्रालय भारत में लघु- उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता हैं। लघु- उद्योगों का संवर्धन करने के लिए लागू उद्यम मंत्रालय नीतियाँ चलाती हैं। उनको क्रियान्वित करके उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ता हैं। लघु-उद्योग विकास संगठन अपनी नीति का निर्माण करने हेतु कार्यक्रम एवं परियोजना बनाने में सरकार से कार्य करने वाले निकाय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना भारत सरकार के द्वारा देश में लघु- उद्योगों का संवर्धन और पोषण की दृष्टि से की गई थी।

तरुण भारत (2017) ने अपने शोध-पत्र में भारतीय एयरटेल और भारत में बड़ी टेलिकम्यूनिकेशन सेवा के अंतर्गत GST का अडवांटेज पेश किया गया हैं। लघु-उद्योगधारक और स्टार्ट्स अपना यह कार्य GST सही होने हेतु कार्य कर रही हैं। एक विशिष्ट संकेत स्थल के माध्यम सभी व्यापारियों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें ग्राहकों को तीन प्रकार की सुविधा दी जाएगी। पहला डिजिटल के माध्यम से निःशुल्क नेटवर्क एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी, दूसरा GST के संदर्भ में कोई परेशानी होने पर तत्काल निदान किया जाएगा तथा तीसरा GST नॉलेज बैंक भी स्थापित की गई। फाइल रिटर्न के लिए अतिरिक्त फ्री डेटा भी दिया जाएगा। इस तरह लघु-उद्योग के माध्यम से एयरटेल जिसटी अडवांटेज प्रमाणित किया जा रहा हैं।

जिला उद्योग केंद्र, वर्धा (D. I.C) ने इसके संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 1977 की औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार हर एक जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया। जिसमें राज्य सरकार एवं महानगरों को छोडकर 422 जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। इस तरह मेरी शोध विषय के अनुसार वर्धा शहर की लघु-उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने हेतु वर्धा शहर के लघु उद्योगों को जानना जरूरी है। वर्धा शहर में विभिन्न तरह के लघु-उद्योग कार्यरत हैं। यह लघु-उद्योग सही तरह से चले इसके साथ लघु-उद्दोग संचालन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसलिए लघु-उद्योग में संगठन की जरूरत है। इसलिए वर्धा शहर में लघु-उद्दोग क्रियान्वयन हेतु समिति निर्धारित की गई हैं।